

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक७१७२३१...../

जबलपुर, दिनांक २१/११/२०१९

IV-12-14/80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-११-१२/२०१०/नियम/चार भोपाल दिनांक १ सितम्बर, २०१२ के अनुसार श्री जगन्नाथ कुशवाहा कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेड/रूम अटेंडेन्ट को दिनांक ०८/०८/२०१९ से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक७१७२३२...../

जबलपुर, दिनांक २१/११/२०१९

IV-12-14/80 VII-Q

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री जगन्नाथ कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेड/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)